न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या – 28/2006

जी.सी.एम.एस. संख्या– 1994/00001

सायल	बनाम	गैरसायल
सरकार		1. मृतक भवानीदान पुत्र नवलदान के कायम मुकाम 1/1 श्री अर्जुनसिंह पुत्र भवानीदान 1/2 श्री जगदीशसिंह पुत्र भवानीदान 1/3 श्री उदयसिंह पुत्र भवानीदान 2. मृतक किशोरदान पुत्र नवलदान के कायम मुकाम 2/1 श्रीमती दयाल कंवर पत्नि किशोरदान 2/2 श्री कुन्दनसिंह पुत्र किशोरदान जातिगण चारण निवासीगण रामासनी, तहसील सोजत, जिला पाली।

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया, विद्वान अभिभाषक मृतक गैरसायल भवानीदाने के का.मु. की ओर से।
3. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभषक मृतक गैरसायल किशोरदान के का.मु. की ओर से।

<u>राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973</u>

–:<u>निर्णय</u>:– दिनांक 25-11-2021

इस सीलिंग प्रकरण में तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी सोजत ने उनके निर्णय दिनांक 12.03.1976 से मृतक गैरसायल भवानीदान व कायम मुकामों के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया। तदुपरान्त राजस्व (सीलिंग) विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक प.7(1070) राज/सी/76 निर्णय दिनांक 15.4.82 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सोजत का निर्णय दिनांक 12.03.1974 राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अनुसार नहीं मानकर और राज्यहित के प्रतिकुल मानते हुए उक्त प्रकरण को रि–ओपन कर राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 की धारा 15(2) के

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश पाली को प्राधिकृत नियुक्त कर निर्देश दिये की उक्त प्रकरण को पुनः खोलकर एवं अप्रार्थीगण को नियमानुसार नोटिस देकर विस्तृत जांच के उपरान्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपना निर्णय देवें।

2. राजस्व (सीलिंग) विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 15.4.82 की पालना में न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश पाली द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर सीलिंग प्रकरण संख्या 07/1982 दायरा दिनांक 02.07.1982 को दर्ज कर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2006/264 दिनांक 27.03.2006 के अनुसरण में पत्रावली अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) पाली के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई। इस न्यायालय द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 28/2006 दर्ज कर संबंधित पक्षकारान को जरिये इत्तला नोटिस सूचित किया गया।

3. प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता ने जाहिर किया कि इस सीलिंग प्रकरण में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा दो पत्रावलियों (क्रमशः भवानीदान व किशोरदान) को सामिल कर एक मुकदमा बनाया जाकर निर्णय पारित किया गया था। लेकिन प्रकरण में अभी तक केवल भवानीदान के कायम मुकामों को तलब किया गया हैं, जबकि मुकदमे की पृष्ठभूमि में श्री किशोरदान भी पक्षकार थे, जिन्हे पक्षकार बनाये बिना कार्यवाही अपूर्ण रहेगी। अतः राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्री किशोरदान को भी जरिये नोटिस तलब कर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया जिस पर गैरसायल मृतक भवानीदान के कायम मुकामो के अधिवक्ता ने भी सहमति जाहिर की। राजकिय अधिवक्ता के निवेदन पर श्री किशोरदान को जरिये नोटिस तलब किया गया। श्री किशोरदान को जारी नोटिस पर तामिल कुनन्दा ने रिपोर्ट में किशोरदान के फोत होने की रिपोर्ट की हैं, अतः श्री किशोरदान के कायम मुकामो की सूची मय पता हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा गया, तहसीलदार सोजत से मृतक किशोरदान के कायम मुकामों की सूची प्राप्त हुई, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा मृतक किशोरदान के कायम मुकामो को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. मृतक गैरसायल भवानीदान के कायम मुकामों की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया वकालतनामा पेश किया तथा मृतक गैरसायल किशोरदान के कायम मुकामों की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया।

5. मृतक गैरसायल भवानीदान के कायम मुकामों की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया ने लिखित में जवाब पेश कर निवेदन किया कि राज्य सरकार ने गैर सायलान के फैसल शुदा सीलिंग प्रकरण 151/1971 तथा 152/1971 को जो फैसला श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा दिनांक 12.3.1976 को दिया गया है उसको कानूनन नही मानते हुए इस विचारधीन पत्रावली को रि-ओपन कर श्रीमान् को पुनः फैसला करने हेतु प्रेषित किया है।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

6. यह है कि पत्रावली में दिनांक 23.4.1983 की जो पटवारी हल्का रेपड़ावास से तहसीलदार सोजत के मार्फत जो रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की गई है वो बिलकुल गलत तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट भेजी गई है तथा उक्त रिपोर्ट न तो वर्तमान रेकर्ड व मौके की स्थिति पर आधारित है। जबकि पटवारी हल्का सोजत ने उक्त रिपोर्ट भेजी उस समय गैर सायलान से इस बाबत में कोई पूछताछ नही की गई कि उनके परिवार सामिल रहते है या अलग अलग रहते तथा कितने कितने सदस्य एक एक परिवार में है जबकि मुतवफी भवानीदान जी के जीवनकाल से ही अर्जुनसिंह, जगदीशसिंह अलग से रहते थे व उनके स्वयं के बच्चे थे जो दिनांक 25.2.1958 को भी बालिग 18 वर्ष से उपर की उम्र के थे।

7. यह है कि राज्य सरकार का ध्यान गैर सायल भवानीदान की पत्रावली पर गलत तथ्यों को आधार बनाकर दिलाया गया है जबकि गैर सायल भवानीदान ने दिनांक 31.01.1959 को जरिये रजिस्टर्ड पारिवारिक बन्टवाडा के अपनी भूमि को (जो भवानीदान को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी) स्वेच्छा से अपने पुत्रान अर्जुनसिंह, जगदीशसिंह, कृपासिंह तथा उदयसिंह मे विभाजित कर दी थी। गैर सायलान अर्जुनसिंह तथा जगदीशसिंह इस पारिवारिक बन्टवाडा को करने से पूर्व ही अपने पिता श्री भवानीदान जी अलग रहत थे और वर्तमान में भी अलग रहते है।

8. यह है कि गैर सायल श्री भवानीदान द्वारा दिनांक 31.01.1959 को जो रजिस्टर्ड पारिवारिक बन्टवाडा किया गया है उसके अनुसार ही गैर सायल व भवानीदान के पुत्र अपनी अपनी जमीनों पर काबिज कास्त है व उनके नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज भी समय पर निम्नानुसार हो गये थेः–

(क) अर्जुनसिंह के हिस्से में निम्न पुराने खसरा नम्बरो का निम्न भू–भाग रहा–

खसरा नम्बर	रकबा
42	20 बीघा 18 बिस्वा
304	10 बीघा 18 बिस्वा
209	09 बीघा 08 बिस्वा
13	04 बीघा 03 बिस्वा
303	10 बीघा 07 बिस्वा
कुल रकबा	**55 बीघा 14 बिस्वा**

जिसका म्यूटेशन संख्या 01 दिनांक 15.03.1959 को भरा गया।

(ख) जगदीशसिंह के हिस्से में निम्न पुराने खसरा नम्बरो का निम्न भू–भाग रहा–

खसरा नम्बर	रकबा
148	15 बीघा 03 बिस्वा
288	15 बीघा 09 बिस्वा
336	12 बीघा 08 बिस्वा
390	17 बीघा 10 बिस्वा
कुल रकबा	60 बीघा 10 बिस्वा

जिसका म्यूटेशन संख्या 02 दिनांक 15.03.1959 को भरा गया।

अति जिला कलक्टर (सीसिंग)
पाली (राज.)

(ग) कृपासिंह के हिस्से में निम्न पुराने खसरा नम्बरो का निम्न भू–भाग रहा–

खसरा नम्बर	रकबा
192	07 बीघा 18 बिस्वा
206	09 बीघा 13 बिस्वा
297	08 बीघा 13 बिस्वा
09	20 बीघा 03 बिस्वा
351	12 बीघा 04 बिस्वा
कुल रकबा	**58 बीघा 11 बिस्वा**

जिसका म्यूटेशन संख्या 03 दिनांक 15.03.1959 को भरा गया।

(घ) उदयसिंह के हिस्से में निम्न पुराने खसरा नम्बरो का निम्न भू–भाग रहा–

खसरा नम्बर	रकबा
236	10 बीघा 00 बिस्वा
246	09 बीघा 08 बिस्वा
115	44 बीघा 18 बिस्वा
कुल रकबा	**64 बीघा 06 बिस्वा**

जिसका म्यूटेशन संख्या 04 दिनांक 15.03.1959 को भरा गया।

9. इस प्रकार मृतक गैर सायल भवानीदान के कब्जे में जो भू–भाग रहा उसका विवरण अधिकतम क्षैत्र सम्बधी प्रपत्र 4 के भाग (क) में भर कर पेश किया जा चुका है तथा गैर सायल भवानीदानजी के फौत हो जाने के बाद उक्त भू–भाग पर उनकी पत्नि दरियाकॅवर बेवा श्री भवानीदान जी का कब्जा कास्त चला आ रहा है जो कि गैर सायल भवानीदान की धर्मपत्नि है।

यह है कि करीब 10 वर्ष पूर्व भवानीदानजी का देहावसान हो चुका है तथा कृपासिंह का भी देहावसान हुए भी करीब 11 वर्ष हो चुके है तथा भवानीदान व कृपासिंह के उत्तराधिकारी अर्जुनसिंह, जगदीशसिंह, उदयसिंह व दरियाकंवर है।

11. यह है कि राज्य सरकार को गलत तथ्यों पर ध्यान आकृषित किया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी सोजत का निर्णय दिनांक 12.3.1976 बिलकुल कानूनन सही है । उपखण्ड अधिकारी ने पत्रावाली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार ही निर्णय दिया है राज्य सरकार ने मात्र वर्तमान पटवारी की रिपोर्ट वर्ष 1983 को आधार बनाकर उक्त सीलिंग प्ररकण को गलत रूप से री–ओपन किया है जबकि दिनांक 15.3.1959 को ही गैर सायलान के नाम से भू–भाग जरिये बन्टवाडा नामान्तरकरण संख्या 1, 2, 3 व 4 के मृतक गैरसायल भवानीदान के पुत्रों के नाम खातेदारी हक इन्द्राज किये जा चुके हैं। दिनांक 25.02.1958 से 01.04.1966 की स्थिति में परिवर्तन हो जाने से उनका जमाबन्दी में भी इन्द्राज इन गैर सायलान के नाम का हो गया था। मगर पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.04.1983 में तमाम गैर सायलान का एक ही परिवार बताने के कारण उक्त पत्रावली विचारण हेतु भेजी गई है जबकि गैर सायलान के पास सीलिंग प्रभावित भू–भाग कतई नही है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

12. यह है कि दिनांक 25.02.1958 को भी गैर सायल भवानीदान के पुत्र अर्जुनसिंह व जगदीशसिंह की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी तथा पूर्वरूप से व्यस्क व अपना अलग परिवार धारित किये हुए थें। जिनके परिवार की जांच गवाहान से व पटवारी सुगनचन्द के कथन से करवाई जा चुकी है। इस प्रकार गैर सायल भवानीदान की 3 तीन यूनीट दिनांक 25.02.1958 को भी उसके परिवार के बनती थी जिससे प्रत्येक यूनिटधारी 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित करने का अधिकारी था विकल्पेन परिवार सदस्य संख्या यदि अर्जुनसिंह व जगदीशसिंह का परिवार अलग नही माना जाता है तो भी गैर सायल भवानीदान अधिकतक 10 परिवार सदस्यों को अपने परिवार में धारित किये हुए थे जिससे वे 60 स्टेडर्ड एकड भूमि रखने के अधिकारी थें । जबकि राज्य सरकार ने भी अतिरिक्त जिलाधीश को को पत्रावली प्रेषित करते हुए दिनांक 25.02.1958 को भवानीदान की 41 स्टेडर्ड एकड भूमि ही मानी है जबकि भवानीदान 60 स्टे.एकर्ड भूमि परिवार सदस्य संख्या अनुसार भी रखवाने का अधिकारी था।

अतः मृतक गैरसायल भवानीदान के कायम मुकामों की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया ने जवाब पेश कर अर्ज किया है कि गैर सायल के द्वारा किये गये परिवारिक बन्टवाडा, राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज , मौके पर अलग–अलग कास्त तथा बालिग 18 वर्षों से अधिक लडको के नाम भूमि होने व उनके अलग से परिवार होने व परिवार सदस्य संख्या के अनुसार कार्यवाही ड्रोप फरमावें।

13. मृतक गैरसायल किशोरदान के कायम मुकामों की ओर से उनके अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह द्वारा जवाब पेश नहीं कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

14. बहस उभयपक्ष सूनी गई।

15. प्रकरण में मृतक गैरसायल भवानीदान के कायम मुकामों की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार आशिया ने बहस के दौरान अपने जवाब में वर्णित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 25.2.1958 को गैरसायल के परिवार में कुल 10 सदस्य थे, जिसके अनुसार गैरसायल 60 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि धारण करने का अधिकारी था। मृतक गैरसायल द्वारा कानूनन् आपसी बंटवारे किये गये थे जिसका नामान्तरकरण संख्या 01, 02, 03 व 04 दिनांक 15.03.1959 के तहत् राजस्व रेकर्ड में भी इन्द्राज किया जा चुका था। इसके उपरान्त दिनांक 25.02.1958 को गैर सायल भवानीदान के पुत्र अर्जुनसिंह व जगदीशसिंह की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी तथा पूर्वरूप से व्यस्क व अपना अलग परिवार धारित किये हुए थें, जिसके अनुसार भी गैरसायल के परिवार में 3 यूनिट होने से गैरसायल व उनके कायम मुकाम 90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि धारण करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार गैरसायल भवानीदान व उनके कायम मुकाम के पास सीलिंग से कम भूमि धारित होने से गैरसायल के विरूद्ध उक्त सीलिंग कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

16. मृतक गैरसायल किशोरदान के कायम मुकाम की ओर से उनके अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा मृतक गैरसायल किशोरदान के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण पूराना कानून व नया कानून के तहत कार्यवाही कर मृतक गैरसायल किशोरदान के पास अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं मानते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी हैं। अतः राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973–धारा 15(2) पूराना कानून व नया कानून के अन्तर्गत कार्यवाही समाप्त की जाने के पश्चात कार्यवाही को पूनः खोलना कानूनन अप्रभावी व शून्य हैं। विद्वान अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न नजीरें प्रस्तुत कि:–

- 2012 (1) RRT 29 राजस्थान उच्च न्यायालय :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम् 1955 अध्याय तृतीय बी–राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973–धारा 15(2) व 15(4)–सीलिंग कार्यवाही 1973 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ की व धारा 15(4) के अन्तर्गत समाप्त हुई, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करना अनुज्ञेय नहीं हैं–आदेश अपास्त किये।
- 2015 (2) RRT 787 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर :– राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 धारा 15(2) पुराने कानून व नये कानून के अन्तर्गत कार्यवाही समाप्त की–कार्यवाही का पुनः खोलना अप्रभावी व शून्य था– आदेश अपास्त किया।
- 2015 (2) RRT 771 राजस्थान उच्च न्यायालय :– राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 धारा 15(2)–सीलिंग मामले को पुनः खोलना–पुराने सीलिंग कानून व नये कानून के अन्तर्गत भी कार्यवाही समाप्त की–पुराने कानून के अन्तर्गत कार्यवाही पुनः खोली–नये अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही समाप्त करने के बाद कार्यवाही का पुनः खोलना न्यायसंगत नहीं था–निर्णीत याचिका गुणागुणहीन हैं व खारिज की।
- 2015 (1) RRT 85 राजस्थान उच्च न्यायालय :– राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15(2) सीलिंग मामलों को पुनः खोलना–धारा 15(4) के अन्तर्गत भूमिधारी के पक्ष में कार्यवाही समाप्त हुई–पुनः अध्याय तृतीय–बी के अन्तर्गत प्राधिकारी कार्यवाही नहीं कर सकता–परी देवी व राम गोपाल के मामले में विरोधी अभिमत लिया–उच्चतम न्यायालय ने परी देवी के मामले में अभिमत की पुष्टि की–विलीन होने का सिद्धान्त–निर्णीत, राम गोपाल के मामले में प्रतिप्रेषित सिद्धान्त सही नहीं हैं।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अन्त में विद्वान अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित ने अपनी बहस मे उपरोक्त नजीरों के आधार पर प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन किया गया।

17. सायल की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि दिनांक 25.02.1958 व 01.04.1966 को मृतक गैरसायल भवानीदान के पास कुल 333 बीघा 08 बिस्वा भूमि धारित थी। मृतक गैरसायल भवानीदान के कायम मुकामों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया कि मृतक गैरसायल भवानीदान ने अपनी मौजूदगी में जरिये आपसी बंटवारे के अपने चारों पुत्रों के नाम क्रमशः अर्जुनसिंह के नाम 55 बीघा 14 बिस्वा, जगदीशसिंह के नाम 60 बीघा 10 बिस्वा, कृपासिंह के नाम 58 बीघा 11 बिस्वा तथा उदयसिंह के नाम 64 बीघा 01 बिस्वा कुल 238 बीघा 16 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 15.03.1959 दर्ज किया जाना बताया हैं। लेकिन मृतक गैरसायल भवानीदान द्वारा अपनी मौजूदगी में अपने पुत्रों के पक्ष में किये गये उक्त समस्त बंटवारे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत् कानून्न मानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि कानून्न पिता की मौजूदगी में पुत्र बंटवारा कराने के हकदार नहीं हैं। जाहिर होता हैं कि मृतक गैरसायल भवानीदान द्वारा उक्त बंटवारे मात्र सीलिंग कानून को प्रभावीत करने तथा सीलिंग कार्यवाही से बचने के लिए किये हैं। अतः उक्त बंटवारे अस्वीकार फरमावे। राजकीय अधिवक्ता ने अपने उक्त कथन के समर्थन में निम्न नजीरों का हवाला दिया:–

- 1976 आर.आर.डी. 222, 223 बिरबल बनाम रामसुख
- 1977 आर.आर.डी. 95, राजस्थान सरकार बनाम मूला व अन्य
- 1976 आर.आर.डी. 187 रामनारायण बनाम राजस्थान सरकार
- 1978 आर.आर.डी. 233, 234 राजस्थान सरकार बनाम शिवदानसिंह

18. राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृतक गैरसायल भवानीदान के कायम मुकामों के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अवगत कराया की दिनांक 25.02.1958 को मृतक गैरसायल भवानीदान के पुत्र अर्जुनसिंह व जगदीशसिंह की आयु 18 वर्ष से अधिक थी, जिससे गैरसायल के परिवार में अलग– तीन यूनिट होने से भी गैरसायल 90 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि धारण करने का अधिकारी बताया हैं। लेकिन गैरसायल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने उक्त कथन को साबित करने हेतु अर्जुनसिंह व जगदीशसिंह की आयु संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज व साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया हैं। जिससे जाहिर होता हैं कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया उक्त कथन आधारहीन हैं, जो मात्र सीलिंग कार्यवाही से बचने व सीलिंग कानून को प्रभावित करने की नियत से आधार बनाया गया हैं। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड से यह स्पष्ट हैं कि दिनांक 01.4.1966 को मृतक गैरसायल भवानीदान के परिवार में 5 सदस्य थे। सीलिंग कानून अनुसार 5 सदस्य तक परिवार एक यूनिट होने से केवल 30 स्टेण्डर्ड

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

एकड़ अर्थात 135 बीघा भूमि धारण कर सकते थे। अतः मृतक गैरसायल भवानीदान के पास शेष सीलिंग सीमा से अधिक भूमि 333.08–135=198 बीघा 08 बिस्वा भूमि अधिग्रहण योग्य होने से अधिग्रहण की जावें।

19. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि मृतक गैरसायल किशोरदान के पास दिनांक 25.02.1958 को कुल 364 बीघा 02 बिस्वा भूमि धारित थी। मृतक गैरसायल किशोरदान ने उपखण्ड अधिकारी महोदय सोजत के समक्ष प्रस्तुत घोषणा–पत्र में जो भूमि हस्तान्तरण करना बताया हैं वो समस्त हस्तानान्तरण नगण्य प्रतिफल/बिना प्रतिफल किये गये हैं तथा हस्तानान्तरण अनरजिस्ट्रड हैं, विक्रय सिद्ध भी नहीं करवाया गया तथा हस्तानान्तरण किये जाने का क्या अभिप्रायः था, यह भी स्पष्ट नहीं हैं। जिससे प्रतित होता हैं कि समस्त हस्तानान्तरण सीलिंग कानून को विफल करने के लिए किये गये हैं। अतः समस्त हस्तानान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 30डी व 30डी.डी. के अनुसार कानूनन वैध नहीं होने से मानने योग्य नहीं हैं।

20. राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृतक गैरसायल किशोरदान के कायम मुकामों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में पूर्व में पुराने कानून व नये कानून के तहत कार्यवाही समाप्त की जा चुकि हैं अतः कानूनन प्रकरण पुनः रि–ओपन नहीं किया जा सकता। गैरसायल के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क के संबंध में राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राज्य सरकार धारा 15(2) के परन्तुक के तहत दी गई परीसीमा के पश्चात भी प्रकरण को रि–ओपन कर सकती हैं तथा प्रकरण मे दोनों कानूनों के तहत निर्णिय होने के पश्चात भी सुनवाई कर प्रकरण मैरिट पर निर्णित किया जा सकता हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कानूनी रोक नहीं है। अतः प्रकरण को मैरिट पर निर्णित किया जावे।

21. राजकीय अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस के दौरान निवेदन किया की मृतक गैरसायल किशोरदान के पास दिनांक 25.02.1958 को कुल 364 बीघा 02 बिस्वा भूमि धारित थी तथा मृतक गैरसायल किशोरदान के परिवार के सदस्यो की संख्या 5 से कम होने से सीलिंग कानून अनुसार परिवार एक यूनिट ही हैं तथा एक यूनिट तक मृतक गैरसायल व उनके कायम मुकाम 30 स्टेण्डर्ड एकड़ अर्थात 135 बीघा भूमि ही धारण कर सकते हैं। अतः शेष 364.02–135=229 बीघा 02 बिस्वा भूमि अधिग्रहण योग्य होने से अधिग्रहण की जावें।

22. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा न्यायिक दृष्टातों को सम्मान पूर्वक अवलोकन करते हुए पत्रावली का गहनता से अध्यन किया। तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक गैरसायल भवानीदान के पास कुल 333 बीघा 08 बिस्वा भूमि धारित थी। मृतक गैरसायल भवानीदान द्वारा अपनी मौजूदगी में अपने पुत्रों के पक्ष में किये गये उक्त समस्त बंटवारे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत् कानूनन मानने योग्य

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

नहीं हैं, क्योंकि कानूनन पिता की मौजूदगी में पुत्र बंटवारा कराने के हकदार नहीं हैं। जाहिर होता हैं कि मृतक गैरसायल भवानीदान द्वारा उक्त बंटवारे मात्र सीलिंग कानून को प्रभावीत करने तथा सीलिंग कार्यवाही से बचने के लिए किये गये हैं। अतः उक्त बंटवारे अस्वीकार किये जाते हैं। मृतक गैरसायल भवानीदान के कायम मुकामों के विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया कि मृतक गैरसायल भवानीदान के पुत्र अर्जुनसिंह व जगदीशसिंह की आयु दिनांक 25.02.1958 को 18 वर्ष से अधिक थी, लेकिन विद्वान अधिवक्ता द्वारा अर्जुनसिंह व जगदीशसिंह की आयु संबंधित किसी प्रकार का काई दस्तावेज या साक्ष्य/सबूत न्यायालय को उपलब्ध नहीं करवाया जिससे यह अर्जुनसिंह व जगदीशसिंह की आयु प्रमाणित की जा सके। जाहिर होता हैं कि मृतक गैरसायल भवानीदान के कायम मुकामों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया उक्त कथन आधारहीन हैं, जो मात्र सीलिंग कार्यवाही से बचने व सीलिंग कानून को प्रभावित करने की नियत से आधार बनाया गया हैं। अतः पत्रावली के अवलोकन व राजकीय अधिवक्ता की बहस से स्पष्ट होता हैं कि दिनांक 25.2.1958 व 01.4.1966 को मृतक गैरसायल भवानीदान के परिवार में पांच सदस्य ही थे जो सीलिंग कानून के अनुसार एक यूनिट होने से मात्र 30 स्टेण्डर्ड एकड़ अर्थात 135 बीघा भूमि ही धारण करने के अधिकारी हैं। अतः शेष 333.08–135=198 बीघा 08 बिस्वा भूमि अधिग्रहण योग्य हैं।

23. इसी प्रकार मृतक गैरसायल किशोरदान के पास दिनांक 25.02.1958 को कुल 364 बीघा 02 बिस्वा भूमि धारित थी। मृतक गैरसायल किशोरदान द्वारा किये गये समस्त हस्तानान्तरण नाममात्र प्रतिफल/बिना प्रतिफल के किये गये हैं तथा हस्तानान्तरण अनरजिस्ट्रड होने तथा विक्रय सिद्ध भी नहीं होने से तथा हस्तानान्तरण किये जाने का क्या अभिप्रायः था, यह भी स्पष्ट नहीं होने से प्रतित होता हैं कि समस्त हस्तानान्तरण सीलिंग कानून को विफल करने के लिए किये गये हैं। अतः समस्त हस्तानान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 30डी व 30डी.डी. के अनुसार कानूनन वैध नहीं होने से तथा मानने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किये जाते हैं।

24. यह हैं कि मृतक गैरसायल किशोरदान के कायम मुकामों के विद्वान अधिवक्ता का यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि गैरसायल के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पुराने सीलिंग कानून व नये कानून के तहत् कार्यवाही समाप्त करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रकरण को पुनः रि–ओपन किया गया। किन्तु राजकीय अधिवक्ता का यह कथन भी मान्य हैं कि प्रकरण विधिक रूप से पोषणीय होने से राज्य सरकार धारा 15(2) के परन्तुक के तहत दी गई परीसीमा के पश्चात भी प्रकरण को मैरिट के आधार पर पुनः रि–ओपन कर सकती हैं। अतः जहां प्रकरण विधिक रूप से पोषणीय है वहां प्रकरण की मैरिट को देखा जाना न्यायसंगत है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

25. पत्रवाली में उपलब्ध रेकर्ड व राजकीय अधिवक्ता की बहस से यह स्पष्ट होता हैं कि दिनांक 25.2.1958 व 01.4.1966 को मृतक गैरसायल किशोरदान के परिवार में पांच सदस्य से कम थे जो सीलिंग कानून के अनुसार एक यूनिट होने से मात्र 30 स्टेण्डर्ड एकड़ अर्थात 135 बीघा भूमि ही धारण करने के अधिकारी हैं। अतः शेष 364.02–135=229 बीघा 02 बिस्वा भूमि अधिग्रहण योग्य हैं।

26. अतः सीलिंग प्रकरण मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरा सुविचारित निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि मृतक गैरसायल भवानीदान के पास दिनांक 25.2.1958 व 01.4.1966 को 198 बीघा 08 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण की जाने का आदेश दिया जाता हैं तथा मृतक गैरसायल किशोरदान के पास 229 बीघा 02 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण की जाने का आदेश दिया जाता हैं। मृतक गैरसायलान भवानीदान व किशोरदान के कायम मुकाम इस आदेश के 15 दिवस के भीतर भीतर अपना विकल्प पत्र तहसीलदार सोजत को पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को भेजकर लेख है कि वे गैरसायलान के कायम मुकामों से विकल्प पत्र प्राप्त होने पर निर्णय अनुसार भूमि अधिग्रहण करे। गैरसायलान के कायम मुकामों से निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र प्राप्त नहीं होने पर मृतक गैरसायलान भवानीदान व किशोरदान के परिवार के सदस्यों के पास धारित भारमुक्त भूमि का अधिग्रहण किया जावें। अगर इस कानून के तहत पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहित की गई हो तो उसका समायोजन किया जावें। इसके पश्चात अधिग्रहण से भूमि शेष रहती है तो अन्तरित क्रम में क्रेताओं से भूमि अधिग्रहण की जावे। भूमि अधिग्रहित कर एक माह में पालना रिपोर्ट न्यायालय को पेश करे।

आदेश की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली तथा उपखण्ड अधिकारी, सोजत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

निर्णय आज दिनांक 25-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)